

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी अमिता मान (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 03 / 2021

दायर दिनांक 06.03.2020

शंकरलाल	उनवान	रज्जाक
	बनाम	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 13.07.2023

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील-प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही जाने का निवेदन कर नोट प्रेस किया। प्रकरण का मूल वाद वकील वादी के निवेदन अनुसार प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थनापत्र पर कोई दाद दिया जाना संभवन नहीं है। वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार हो नंबर से कम हो।

(अमिता मान)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

